न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–234/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/234)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गुलाब सिंह जाति दरोगा, निवासी ग्राम–मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर।
2. भंवरी देवी पुत्री गुलाब सिंह पत्नी स्व0 नानूराम जाति दरोगा, निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर जिला अजेर हाल निवासी मिला चौराया, पाटनी भवन मदनगंज किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. भोमा देवी पुत्री गुलाब सिंह पत्नी रतन सिंह जाति दरोगा, निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम झालरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा।
4. कंचन देवी पुत्री गुलाब सिंह पत्नी हनुमान सिंह जाति दरोगा, निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम कोट जेवर (बोराज) तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. महावीर पुत्र मोहन
2. रघुवीर पुत्र मोहन
3. प्रेम पत्नी दशरथ
4. हरिसिंह पुत्र दशरथ
5. गोविन्दसिंह पुत्र दशरथ नाबालिग जरिए संतान माता प्रेम पत्नि दशरथ
6. सुनिता पुत्री दशरथ
   समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर।
7. तुलसीदास पुत्र मिश्रीदास जाति साधू, निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावार जिला अजमेर।
8. रघुवीर पुत्र मिश्रीदास (मृतक) जरिए वारिसानः–
   8/1 श्रीमती मधू पत्नि स्व0 श्री रघुवीर
   8/2 पूरण पुत्र स्व0 श्री रघुवीर
   8/3 प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री रघुवीर
   जाति साधू निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम देवखेडा (दूनी), तहसील देवली, जिला टोंक।
9. महावीर पुत्र मिश्रीदास जाति साधू निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम देवखेडा (दूनी), तहसील देवली, जिला टोंक।
10. तुलसी पुत्री मिश्रीदास जाति साधू निवासी ग्राम मेहरू खुर्द, तहसील सावर, जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलर, सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.08.2022 राजस्व वाद संख्या 36/2015(2016/00364)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री, शोकिन्द लाल अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री आशिष जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6.
3. श्री शंकर लाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 से 10.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11.

निर्णय

दिनांकः– 24.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2015 (2016/00364) में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 व ब्रजराज ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वर्तमान अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट 7 लगायत 10 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष पेश कर निवेदन किया। प्रकरण दर्ज कर विपक्षी–अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंट को जरिए नोटिस तलब किया, किंतु वर्तमान अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर प्राथना पत्र कथनों को अस्वीकार कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 मात्र कानून का दुरूपयोग कर अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 405 दीवार पशुओं बाधने टीन शेड मकान व निमार्णधीन दीवार को नुकसान करने एवं आराजी को हडपने गरज से प्रकरण प्रस्तुत किया, जबकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 अपनी खातेदारी की आराजी में आने के लिए 380, 401, 381, 399, 398, 397, 396 की मेड के सहारे होते हुए आता जाता रहा है, जो अपीलांट के पूर्वजों के समय से खसरा सख्या 405 में पशुओं का टीन शेड संचालित एवं दीवार अपनी आराजी पर वर्षो से निर्मित चली आ रही है, तथा सुखाधिकार के तहत न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है, तथा अवरूद्ध रास्ता की धारा 251 ए के तहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तथा मूल खातेदार को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया, जो मात्र कानून पूर्ण विधिक प्रक्रिया पर सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही एवं हल्का पटवारी के द्वारा बार–बार मौका रिपोर्ट दिनांक 25.5.2012 एवं 16.06.2016 तथा 17.06.2016 भेजी जो आपस में विरोधाभाषी होने के बाद भी अपीलांट के न्यायहितों को नजरअंदाज कर गैरकानूनी रूप प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को अवांछित रूप से लाभावित की गरज से बिना तहसीलदार से मौका रिपोर्ट से तलब किए एवं प्रकरण विधि अनुसार एवं धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी की मंशा के विरूद्ध जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने विधिक मंशा के विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.08.2022 को पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2015 (2016/00364) में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण के मूल निष्कर्ष पर पहुंच

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

ही नहीं पाए कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की आराजी खसरा संख्या 394 एवं 395 के लिए वर्तमान अपीलांट/विपक्षी की आराजी खसरा संख्या 405, 406, 415, 418 में से रास्ता दिया जाना उचित व न्याय संगत है या नही बाबत कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया, यहां यह भी कहना उल्लेखनीय है, कि एक रास्ता का उपयोग खसरा संख्या 380, 401, 381, 399, 398, 397, 396, के खातेदार के आराजी में से होकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट अपनी आराजी पर आता जाता रहा है, उक्त भूमि में रास्ता नहीं देकर प्रश्नाधीन आदेश न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल महज अपीलांट को अनुचित रूप से कानून विरूद्ध उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से महरूम किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को खसरा संख्या 405, 406, 415, 418 के आगे अन्य खेत की मेड से आता जाता रहा है, तो अपीलांट की आराजी के बाबत प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि स्वयं अपीलांट अपनी आराजी जिस पक्का निर्माण बना हुआ है, जिस आने का रास्ता नहीं है, खसरा सख्या 400, 401, 404, 396 बाबत कोई आदेश नहीं पारित कर मात्र अपीलांट की निर्माण शुद्धा आराजी को तोड फोड कर नुकसान करने की गरज प्रकरण प्रस्तुत किया गया एवं अन्य सहखातेदार की आराजी होकर पूर्वजों के समय से आराजी में कदीमी से चले आ रहे है, जो स्वयं सिद्ध है कि मकान टिन शेड हडपने एवं सिंचाई से वंचित करने की गरज से कार्यवाही अमल में लाई गई, जो किसी भी पक्षकार/खातेदार को रास्ता सुविधा के लिए 251 ए के प्रावधान के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है, मात्र उनका उददेश्य ही आराजी हडपना है, यदि उक्त रास्ता कायम हो पाने पर वर्तमान अपीलांट की आराजी निर्माण ध्वस्त कर देंगे तथा पशुओं के मकान टीन शेड एवं दीवार से लाखों का अपीलांट को नुकसान होगा, आराजी खसरा संख्या 400, 401, 404, 396 से लेना चाहिए था, जो मात्र केवल वर्तमान अपीलांट की आराजी हडपने के लिए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई तथा इस बाबत हल्का पटवारी अपनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट–1. दिनांक 25.5.2012 में आराजी खसरा संख्या 404, 401, 400 बात अंकित की गई, 2. रिपोर्ट दिनांक 16.6.2016 में आराजी खसरा संख्या 401, 400, 404 बाबत अंकित की गई। 3. रिपोर्ट दिनांक 17.6.2016 में 406, 405, 4018, 418 को अंकित की गई, 4. रिपोर्ट दिनांक 15.06. 2018 406, 405, 4018, 418 को अंकित की गई, 5. रिपोर्ट दिनांक 6. 7.2018 में आराजी खसरा संख्या 396, 399, 397, 401 को अंकित की गई, 6. रिपोर्ट दिनांक 16.2.2022 में आराजी खसरा संसख्या 405, 406, 415, 418 को अंकित की गई उक्त समस्त मौका रिपोर्ट में उल्लेख भिन्न आराजी अंकित किया गया, जो स्वयं सिद्ध है जबकि अपीलांट के पूर्वजों द्वारा बनाई गई दीवार एवं टीन शेड निर्माण व दीवार वर्षो से पशुओं बाबत उपयोग की जा रही है, रास्ता बाबत आराजी 400, 401, 404, 396, 380, 397, 398, 381, 399 व अन्य से लगता हुआ रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता चला आ रहा है, जो मात्र अपीलांट की आराजी हडपने की गरज से उपरोक्त कार्यवाही अमल लाई गई जो वर्तमान अपीलांट की न्यायहितों पर कुठाराघात करते हुए वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को अवांछित रूप से लाभांवित करने की गरज से उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना एवं धारा 251 (क) के कानून की मंशा के विपरीत जाकर आदेश

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित कर दिया, जो आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय दौराने जैरकार प्रकरण ब्रजराज, रघुवीर, रामकन्या का स्वर्गवास होने के उपरांत विधिक कार्यवाही किए बिना प्रकरण का अंतिम निरतारण विधि विरूद्ध पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण के पत्रावली में मौजूद तथ्यों व साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही निर्णय पारित कर दिया है, जबकि न्यायालय का दायित्व है कि दस्तावेज एवं अभिवचनों का परिक्षण करना चाहिए, जैसा कि प्रतिपाद्वित सिद्धांतः– 2016 डी.एन.जे (4) पेज 222 एवं 2016 आर.आर.टी (2) पेज 1281, 2014 आर.आर.टी (1) पेज 40 में स्पष्ट उल्लेख तदउपरांत भी दोनों न्यायालयों द्वारा कानून की मंशा के विपरीत निर्णय पारित किया, जो निरस्त योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करने पूर्व पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है, जो आक्षेपित आदेश पारित करते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश से स्वीकार फरमाया है एवं उनके द्वारा उक्त आदेश पारित करने के संबंध में कोई संतोषजनक कारण व निषकषकिन भी उक्त आदेश में अंकित नहीं किए गए है, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोंई सकारात्मक व विधिसम्मत कारण आदेश में अंकित नहीं किया है एवं बहुत ही संक्षिप्त आदेश के द्वारा रूटिन प्रक्रिया के तहत न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 7 की प्रकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है, किसी भी प्रकरण को इस प्रकार न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना एवं स्वीकार व अस्वीकार करने का युक्ति संगत कारण अंकित किए बिना आदेश पारित करना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रक्रिया नहीं है, विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वे प्रकरण को निस्तारित करते समय इस पर विशलेषणात्मक विवेचन करते हुए व स्पष्ट रूप से कारण अंकित करते हुए अपील का निस्तारण करते इस संबंध में मण्डल द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2016 आर.आर.टी (2) पेज 1147 है। न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक निर्णय व आदेश आधार सहित व तर्क सहित होना चाहिए अस्पष्ट तथा संदिग्ध निर्णय अथवा नॉन स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्ण/आदेश स्पीकिंग होने चाहिए साथ ही विधि द्वारा सुस्थापित स्थिति है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयो को जा0दी0 के आदेश 20 नियम 4 व 5 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2015 (2016/00364) में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी को काश्त करने हेतु मुख्य कच्ची सडक है जहां से प्रतिवादीगण टेक्टर व बेल गाडी व कृषि यन्त्र सामान ले जाने हेतु खसरा संख्या 404, 401, 400, 406, 405, 415, 396, 418 से होता हुआ व खसरा 418 के लगवा खेत की मेढ से होता हुआ प्रतिवादी की आराजी में आते जाते रहे है जिसके चलते

Scanned with CamScanner

प्रतिवदी को भारी सगरया हो गई है अपने खेत खसरा संख्या 394 व खसरा संख्या 395 गै0मु0 चाह को बुआई जुताई व कृषि यंत्र इत्यादि अपने उक्त आराजी तक लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है क्योंकि मौके पर अभी रास्ते को सकरा करके अवरूद्ध करके बंद कर दिया है जिससे न्यायहित में खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में ट्रेक्टर, बैलगाडी कृषि यंत्र इत्यादि ले जाने तक के लिए चौडा करीबन 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता दर्ज करके मौके पर खोला जावे ताकि प्रतिवादी अपने आराजी में कुआई, जुताई, पिलाई के लिए कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, बेलगाडी जानवर मवेशी इत्यादि बेरोक टोक ले जा सके व न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त रास्ता वादीगण के नाम आराजी खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसकों रास्ता जितना दुरूस्त करके रास्ता दर्ज किया जावे। वादीगण ने खसरा संख्या 404 व 401 में पक्की दिवार जिसने 5 फिट रास्ता छोड करके बना रखी है लेकिन खसरा संख्या 401 में बंद कर दिया है पत्थर गाड करके मौके पर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है व 405 में पक्की दीवार बनाकर के रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिसको खोला जाना न्यायहित में होगा एवं राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता दर्ज किया जाकर तकमील किया जावे। उक्त रास्ते को प्रतिवादीगण उपभोग उपयोग कहीं वर्षो से जन्म से बाप दादाओं के समय से करते चले आ रहे है, वाद वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रतिवादीगण के खेत तक आने जाने का नही है। प्रतिवादीगण को उक्त रास्ते से अपने वाद वर्णित खेत तक आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त है। उक्त रास्ते से आने जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 30.11.2015 को रोका व मौके पर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया जिसको खोला जाना न्यायहित में होगा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण की खातेदारी से करके रास्ता दर्ज किया जाकर तकमिल न्यायहित में किया जावे। प्रतिवादीगण रास्ता डी.एल.सी. रेट के अनुसार राज्य सरकार को जमा करवाने को तैयार व तत्पर है। प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी में टेक्टर, बेलगाडी, कृषि यंत्र, मवेशी इत्यादि ले जाने जितना चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता खुलवाया जाना न्यायहित में होगा, जिसकी डी.एल.सी. रेट से राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रतिवादीगण दिनांक 30.11.2015 को टेक्टर लेकर गए तो वादीगण ने उक्त रास्ते में से टेक्टर लाने ले जाने हेतु प्रतिवादीगण के मार्ग में बाधा पहुंचाई व गाली गलौच की, प्रतिवादीगण अत्यंत गरीब काश्तकार है, प्रतिवादी ने उक्त रास्ते में टेक्ट्रर मवेशी लाने व ले जाने में बाधा नहीं पहुंचाने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करावने हेतु न्यायालय से निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 10 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह अप्रार्थी जगदीश प्रसाद, भंवरी, भोमा, कंचन देवी के साथ दुर्रभि संधी कर प्रस्तुत किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता नहीं होने के बावजूद भी नये रास्ता के आदेश पारित किये है।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि उनके खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.8700 है0 वाकै ग्राम मेहरूखुर्द तहसील सावर मे स्थित हैं मौके पर अपने खेत खसरा में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है तथा दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं रास्ते केवल सुविधा के लिए नहीं लिया है आत्यन्तिक आवश्यकता है इसलिए खसरा नम्बर 400, 401, 406, 404, 405, 415, 418 व 396 में नये रास्ते के आदेश कराये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.12.2015 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 से 04 व 5 से 09 की ओर से अभिभाषकगण ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 04.03.2016 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश ने अन्डरटेंकिगं दी। पत्रावली में दिनांक 22.3.2017 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । दिनांक 19.07.2017 को पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत की गई किन्तु आपसी सहमति नहीं होने से पत्रावली को पुनः मुख्यालय पर रख दी गई। पत्रावली में दिनांक 18.01.2019 को मौका रिपोर्ट जो दिनांक 06.02.2018 को तैयार की गई पेश की तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 09 की ओर से आपत्ति मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.12.2020 को आपत्ति मौका पर्चा व जवाब आपत्ति मौका पर्चा पर पक्षकार को सुना जाकर आपत्ति मौका पर्चा को स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने के आदेश दिये गये। दिनांक 20.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश से आई.आल.आर. व पटवारी हल्का ने पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 05.07.2022 को अभिभाषक उभयपक्ष को सुना जाकर आदेशार्थ हेतु पत्रावली रखी गयी तथा दिनांक 10.08.2022 को प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिये गये। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 20.06.2022 में यह अंकित गया है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 394 में आने जाने के लिए पूर्व में तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 के अलावा अन्य कोई कम दूरी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व मौका रिपोर्ट के अनुसार कम दूरी होने के कारण खसरा नम्बर 406, 405, 415, 418 में प्रार्थी के आने जाने के लिए नये रास्ते के आदेश दिये। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट की यह आपत्ति है कि अप्रार्थी संख्या 07 वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 08 की मृत्यु प्रार्थना पत्र में आदेश करने से पूर्व हो चुकी थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई उज्र नहीं उठाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में यह अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 07 रघुवीर फौत हो चुके हैं । अपील प्रस्तुती के समय प्रकरण में रघुवीर के वारिसान रिकार्ड पर लिये हुए है। उक्त त्रुटि तकनीकी त्रुटी है जिसका प्रकरण की मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने यह आपत्ति उठाई कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 69 की पालना नहीं की गई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से यह तथ्य सामने आता है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 में यह अंकित किया गया है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष उपस्थित थे किन्तु अप्रार्थीगण रास्ते देने में सहमत नहीं थे इसलिए मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 के अवलोकन ये यह भी तथ्य सामने आता है कि पैरा संख्या 04 में अंकित प्रार्थी के अपने खेत खसरा नम्बर 394 पर काश्त हेतु आने जाने लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा इसलिए रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 05 में यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं एवं आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही है। प्रस्तुत प्रकरण में रास्ते बाबत् कई बार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है एवं उन पर पक्षकारान द्वारा आपत्ति ली जाकर आपत्ति पर सुना जाकर आपत्तियों का निरतारण किये जाने के पश्चात ही आदेश पारित किये गये है। प्रार्थीगण के पास अपने खेत खसरा में आने जाने के लिए रास्ते अत्यन्त आवश्यता थी एवं रास्ता उपलब्ध नहीं था इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल के सरकारी नियम 69 की पूर्ण पालना कर ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई है तद्अनुसार ही प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय को नवीन रास्ता स्वीकृत करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के चार मुख्य घटकों को देखना आवश्यक है:–1. आवश्यकता आवश्यक है (Necessity is absolute Necessary) 2. दूसरा उपलब्ध नहीं है (Absent of the alternative is Means of access.) 3. लघुत्तम (Shortest) 4. सुविधा के अुनसार (Convenient injoyment)। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त चारो आवश्यक घटको को मध्येनजर रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2015 (2016/00364) में पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner